संयुक्त प्रान्त कपास (सांख्यिकीय) अधिनियम, 1947 {संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1947}

THE UNITED PROVINCES COTTON (STATISTICS) ACT, 1947

[U. P. Act No. 5 of 1947]

संयुक्त प्रान्त कपास (सांख्यिकीय) अधिनियम, 1947¹ {संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1947}

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

्युनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने दिनांक 13 अगस्त, 1946 को तथा युनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने दिनांक 18 जनवरी, 1947 की बैठक में स्वीकृति किया।

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 75 के अन्तर्गत युनाइटेड प्राविन्सेज के गवर्नर ने दिनांक 13 मार्च, 1947 को स्वीकृति प्रदान की और युनाइटेड प्राविन्सेज गजट में 22 मार्च, 1947 को प्रकाशित हुआ।

संयुक्त प्रान्त में अपरिष्कृत कपास के सम्बन्ध में सांख्यिकीय के संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में अपरिष्कृत कपास के सम्बन्ध में सांख्यिकीय के संग्रहण को सुविधाजनक बनाया जाय; प्रस्तावना

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

1——(1) यह अधिनियम "संयुक्त प्रान्त कपास (सांख्यिकीय) अधिनियम, 1947" कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

- (2) इसका विस्तार² सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगा।
- (3) वह ऐसे दिनांक³ से प्रवृत्त होगा, जिसे {राज्य सरकार}⁴, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।
 - 1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए गजट 30 नवम्बर, 1946, भाग 7, पृष्ठ 15-16 देखिये।
 - यह अधिनियम इस तालिका के स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से तथा स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अन्तर्गत स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियमों अथवा आदेशों के अन्तर्गत उन क्षेत्र में प्रसारित किया गया है, जिनका उल्लेख स्तम्भ 1 में किया गया है :--

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश, जिनके अन्तर्गत विस्तार किया गया	विज्ञप्ति, यदि कोई हो, जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि, जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1–जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950	विज्ञप्ति यू० ओ० सं० 133/(iv)/xvii345—49, दिं० 28 फरवरी, 1951	3 मार्च, 1951
2–जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर,, 1949	विज्ञप्ति यू० ओ० सं० 133/(ii)/ xvii204—50, दिं0 28 फरवरी, 1951	तदैव
3– जिला टिहरी– गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर,, 1949	विज्ञप्ति यू० ओ० सं० 133/ xvii344—49, दिं० 28 फरवरी, 1951	तदैव

- यह अधिनियम 1 दिसम्बर, 1947 को प्रवृत्त हुआ। गजट दिनांक 15 नवम्बर 1947, भाग 1, पृष्ठ 888 पर अधिसूचना संख्या 9724/अट्डाइस—200, दिनांक 6 नवम्बर, 1947 देखिए।
- 4. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

{सं0 प्रा0 कपास (सांख्यिकीय) अधिनियम, 1947}

धारा 2-5}

2-- जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में -

परिभाषायें

- (1) ''कपास'' का तात्पर्य हर प्रकार की अपरिष्कृत कपास से है, जिनके अन्तर्गत विदेशी अपरिष्कृत कपास का अवशिष्ट भी है।
- (2) ''आर्थिक सलाहकार'' का तात्पर्य {उत्तर प्रदेश} ¹ सरकार के आर्थिक सलाहकार से है;
- (3) ''भारतीय केन्द्रीय कपास समिति'' का तात्पर्य इंडियन काटन (सेस) ऐक्ट, 1923 के अधीन, संघटित भारतीय केन्द्रीय कपास समिति से है;
- (4) "स्वामी" का तात्पर्य कपास ओटने के किसी कारखाने या किसी कपास संपीडन कारखाने के स्वामी से है और इसके अनतर्गत ऐसे कारखाने का प्रबन्धक अभिकर्त्ता या प्रमुख अधिकारी भी है,
 - (5) ''विहित दिनांक'' का तात्पर्य अगस्त के इकतीसवें दिन से है ;
 - (6) ''{राज्य}²'' का तात्पर्य (उत्तर प्रदेश}¹ से है ;
- (7) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कपास बेचने या खरीदने का कारोबार करता हो और इसके अन्तर्गत कोई दलाल या आढ़ितयां, जो अन्य व्यक्तियों के लिये कपास बेचता या खरीदता हो और उनकी ओर से कपास या स्टाक रखता हो; या कपास का स्टाक रखने वाला कोई व्यक्ति, भी है;
- (8) ''कपास ओटने का कारखाना'' तथा ''कपास संपीडन कारखाना'' पदों के वे ही अर्थ होंगे, जो काटन जिनिंग ऐन्ड प्रेंसिंग फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1925 में क्रमशः ''काटन जिनिंग फैक्ट्री'' तथा ''काटन प्रेंसिंग फैक्ट्री'' पदो के हैं।

1925 का अधि 0 सं0 12

3—— (1) प्रत्येक व्यापारी तथा प्रत्येक स्वामी विभिन्न फिल्मों के कपास के परिमाण के संबंध में, जो उसके कब्जे में विहित दिनांक को हो, विवरण, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रपत्र में, प्रतिवर्ष तैयार करेगा या करायेगा और उसे आर्थिक सलाहकार को देगा या दिलायेगा।

कपास की वार्षिक विवरणी का दिया जाना

- (2) ऐसी प्रत्येक विवरणी विहित दिनांक के सात दिन के भीतर आर्थिक सलाहकार को दी जायगी या डाक द्वारा भेजी जायगी ।
- 4— आर्थिक सलाहकार या उसके द्वारा लिखित से तदर्भ प्राधिकृत किसी व्यक्ति की, धारा 3 के अधीन अपेक्षित कोई सांख्यिकीय संग्रहीत करने के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे, संसुगत अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच किसी होगी, जो किसी व्यापारी या स्वामी के कब्जे में हो, और वह किसी भी भी उचित समय पर किसी भी ऐसे भूगृहादि में प्रवेश कर सकेगा, जिसके भीतर ऐसे अभिलेख या दस्तावेज के होने का उसे विश्वास हो और वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा।

अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच का अधिकार

5— आर्थिक सलाहकार धारा 3 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणियों का या धारा 4 के अधीन प्राप्त को गई जानकारी का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे रूप से वह ऐसी विवरणियों या जानकारी का उपयोग भारतीय केन्द्रीय कपास समिति द्वारा अपेक्षित किन्हीं सांख्यकीयों की सम्पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ कर सकेगा।

धारा 3 के अधीन अपेक्षित विवरणी का या धारा 4 के अधीन प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग

- 1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।
- 2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्स) के लिए प्रतिस्थापित।

[सं0 प्रा0 कपास (सांख्यिकीय) अधिनियम, 1947]

(धारा 6-9)

6— (1) धारा 3 के अधीन दी गयी कोई एकल विवरणी और ऐसी विवरणी का कोई भाग तथा 4 के अधीन प्राप्त की गई कोई जानकारी, यथास्थिति, उस व्यापारी या स्वामी की जिनके द्वारा वह विवरणी भेजी गई हो या जानकारी दी गयी या उसके प्राधिकृत अभिकर्त्ता की, लिखित पूर्व सहमति के बिना इस प्रकार प्रकाशित न की जायेगी कि उसकी किन्हीं विशिष्टियों यह पता चल सके कि वे कपास ओटने के किसी विशेष कारखाने या किसी विशेष कपास संपीडन कारखाने या किसी विशेष व्यापारी के कारोबार के प्रति निर्देश करती है।

विवरणियों और जानकारी के प्रकाशन पर निर्वन्धन

(2) इस अधिनियम भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय, किसी भी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सांख्यिकीय संग्रहण में न लगा हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई एकल विवरणी या जानकारी देखने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी।

1860 का अधि0 सं0 45

7--यदि कोई व्यक्ति -

शास्तियां

- (क) धारा 3 के अधीन अपेक्षित विवरणी या जानबूझ कर देने से इंकार करेगा या बिना वैध कारण के उसे देने की उपेक्षा करेगा, या
- (ख) जानबूझ कर कोई ऐसी विवरणी देगा या दिलायेगा, जिनके बारे में वह जानता हो कि वह मिथ्या है, या
- (ग) धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा, या जानबूझ कर उसका मिथ्या उत्तर देगा, या
- (घ) सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज तक धारा 4 द्वारा प्रदत्त पहुंच के अधिकार में या प्रवेश के अधिकार में अडचन डालेगा,

तो वह जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दिवस के पश्चात् उस प्रत्येक दिवस के लिये, जिनके दौरान अपराध जारी रहे, दो सौ रूपये तक हो दण्डनीय होगा, तथा किसी मिथ्या विवरणी या उत्तर प्रदेश के संबंध में अपराध उस समय तक जारी समझ जायगा जब तक सही विवरणी या उत्तर न दे दिया जाय।

8— यदि कोई व्यक्ति जो उस अधिनियम के अधीन सांख्यिकीय संग्रहण में लगा है, इस अधिनियम के अधीन दी गई कोई जानकारी या बनाई गई किसी विवरणी की अन्तर्वस्तु, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन से, अथवा इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन किसी अपराध के लिये अभियोजन के प्रयोजन से, अन्यथा, जानबूझ प्रकट करेगा तो वह कारावास से, जिसको अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा या कारावास तथा जुर्माने दोनों से ही, दण्डनीय होगा।

जानकारी तथा विवरण को अनुचित रूप से प्रकट करने के लिए शास्ति

9— धारा ७ के अधीन कोई अभियोजन {राज्य सरकार} की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायगी।

अपराध का संज्ञान

^{1.} एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

{सं0 प्रा0 कपास (सांख्यिकीय) अधिनियम, 1947}

धारा 10-11

10— इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्ण की गई या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात के संबंध में, किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

इस अधिनियम के अधीन किए गये कार्यो के लिए संरक्षण

11—(1) {राज्य सरकार} इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

- (2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों मे निम्नलिखित विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात् —
 - (क) धारा 3 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्राप्त; और
 - (ख) धारा 4 द्धारा प्रदत्त दस्तावेजों तक पहुंच के अधिकार तथा प्रवेश के अधिकार का प्रयोग।

THE UNITED PROVINCES COTTON (STATISTICS) ACT, 1947¹ [U.P. ACT NO. 5 OF 1947]

Adapted and modified by the Adaptation of Laws order1950

[Passed by the United Provinces Legislative Assembly on August 13, 1947 and by the United Provinces Legislative Council on January 18, 1947.

Received the assent of the Governor General on March 13, 1947, under section 75 of the Government of India Act, 1935, and was published in the United Provinces Government Gazette, dated June 22, 1947.]

AN

ACT

to facilitate the collection of statistics relating to raw cotton in the United Provinces

reamble

WHEREAS it is expedient to facilitate the collection of statistics lating to raw cotton in the United Provinces;

It is hereby enacted as follows :--

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the "United Provinces Cotton (Statistics) Act, 1947".
 - (2) It extends to the whole² of Uttar Pradesh.
 - (3) It shall come into force on such date³ as the [State Government]⁴ may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.
- 1. For S.O.R. see gaz., dated November 33, 1946 part, VII, pp.15-16.
- 2. This Act has been extended to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, if any mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area.

Areas	Act or Order under which extended	Notification, if any, under which enforced	Date from which enforced
1	2	3	4
Rampur District	Rampur (Application of Laws) Act, 1950.	No. U.O.133(iv)/ XVII-345·49, dated February28,1951, in Gazette, dated March 3, 1951, Part I, p.184.	March 3, 1951.
Banaras District	Banaras (Application of Laws) Order, 1949.	No. U.O133 (ii)/ XVII-204·50, dated February 28, 1951, in Gazette dated March 3, 1951, Part I. page 184.	Ditto
Tehri-Garhwal District	Tehri-Garhwal (Application of Laws) Order, 1949.	No. U.O133/XVII- 344-49,dated February 28,1951, in Gazette, dated March 3, 1951, part 1, page 184	Ditto

^{3.} The Act came into force on December 1, 1947, see, notification no. 9724/XXVIII-200, date Nov. 6, 1947 in Gazzettee Date Nov. 15, 1947, Pt.I. p. 828.

^{4.} Subs. by the A.O. 1950 for [Provincial Government].

[The United Provinces Cotton (Statistics) Act, 1947]

[Section 2-5]

Definitions

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-
 - (i) "cotton" means raw cotton of every description, including foreign raw cotton and cotton waste;
 - (ii) "Economic Adviser " means Economic Adviser to Government, [Uttar Pradesh]¹;
 - (iii) "Indian Central Cotton Committee" means the Indian Central Cotton Committee constituted under the Indian Cotton (Cess) Act, 1923;
 - (iv) "owner" means the owner of a cotton ginning factory or a cotton pressing factory and includes the managing agent or other principal officer of such factory;
 - (v) "prescribed date" means the thirty-first day of August;
 - (vi) ["State"]² means [Uttar Pradesh]¹;
 - (vii) "trader" means a person carrying on the business of selling or purchasing cotton and includes a broker or a commission agent who makes contracts for the sale or purchase of cotton for others and stocks cotton on their behalf, or anyone holding stocks of cotton;

Act XII of 1925

(vii) the expression 'Cotton ginning factory" and cotton pressing factory shall have the meanings respectively assigned to them by the cotton Ginning and pressing Factories Act, 1925.

Delivery of yearly returns of cotton

3.

4.

5.

- (1) Every trader and every owner shall each year prepare and deliver or cause to be prepared and delivered to the Economic Adviser a return, in the form prescribed by rules made under this Act of the quantity of cotton of different varieties in his possession on the prescribed date.
 - (2) Every such return shall be delivered or sent by post to the Economic Adviser within seven days of the prescribed date.

Right of access to record or document

The Economic Adviser or any person authorized by him in writing in this behalf shall, for the purpose of the collection of any statistics required under section 3, have access to any relevant record or document in the possession of any trader or owner and may enter at any reasonable time any premises wherein he believes such record or document to be and may as any question necessary for obtaining, any information required for the aforesaid purpose.

Use of return required under section 3 or in formation obtained under section 4

The Economic Adviser may use the returns furnished under section 3 or information obtained under section 4 for such purposes as he may deem fit and may in particular use such returns or information for the purpose of supplying any statistics required by the Indian Central Cotton Committee.

^{1.} Subs. by the A.O. 114, 1950 for [the United Provinces]

^{2.}Subs. by the A.O. 1950 for [Province].

Restriction on the publication of returns and information

- (1) No individual return made under section 3 and no part of such return and no information obtained under section 4 shall, without the previous consent in writing of the trader or owner, as the case may be, by whom the return or information was furnished or given or his authorized agent, be published in such manner as would enable any particulars to be in denitrified as referring to a particular cotton ginning factory or cotton pressing factory or the business of any particular trader,
- (2) Except for the purposes of a prosecution under this Act, or under, the Indian Penal Code, 1860, no person not engaged in connation with the collection of statistics, required under this Act shall be permitted to see any individual return or information referred to in sub-section (1).

Penalties

- 7. If any person---
 - (a) wilfully refuses or without lawful excuse neglects to furnish the return required under section 3, or
 - (b) wilfully furnishes or causes to be furnished any such return which he knows to be false, or
 - (c) refuses to answer or willfully gives a false answer to any question asked in exercise of the powers conferred by section 4, or
 - (d) impedes the right of access to relevant record or document or the right of entry conferred by section 4,

he shall be punishable with fine which may extend to rupees five hundred, and in the case of a, continuing offence, to a further fine which may extend or rupees two hundred for each day after the first during which the Offence continues, and in respect of a false return or answer the offence shall be deemed to continue until the true- turn, or answer has been given or made.

Penalties for improper disclosure of information and returns 8.

If any person engaged in connection with the collection of statistics under this Act wilfully discloses any information or the contents of any return given or made under this Act otherwise than in the execution of his duties under this Act or for the purpose of the prosecution of an offence under this act or under the Indian penal Code he shall be publishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both imprisonment and fine.

Cognizance of an offence

9. No prosecution under section 7 shall be instituted except with the previous sanction in writing of the [State Government.]¹

^{1.} Subs. by the A.O. 1950 for [Provincial Government].

[The United Provinces Cotton (Statistics) Act, 1947]

[Section 10-11]

Protection for Acts done under this Act 10. No suit or other legal proceedings shall be instituted against any person in respect of any thing which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Power to make rules

11.

- (1) The [State Government]¹ may subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act-
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for the following maters; namely-
 - (a) The form of return to be furnished under section 3; and
 - (b) The exercise of the right of access to documents and the right of entry conferred by section 4.

^{1.} Subs. by the A.O. 1950 for [Provincial Government].